

**राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022**  
**भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(2) के प्रावधानों**  
**के अनुसार राज्य विधान सभाओं और संसद के दोनों**  
**सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का विवरण**

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विधान सभा सीटों की संख्या (निर्वाचित)	जनसंख्या (जनगणना 1971)	प्रत्येक विधान सभा सदस्य के मत का मूल्य	राज्य के लिए मतों का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	175	27800586	159	159 X 175 = 27825
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	467511	8	008 X 060 = 480
3.	असम	126	14625152	116	116 X 126 = 14616
4.	बिहार	243	42126236	173	173 X 243 = 42039
5.	छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129 X 090 = 11610
6.	गोवा	40	795120	20	020 X 040 = 800
7.	गुजरात	182	26697475	147	147 X 182 = 26754
8.	हरियाणा	90	10036808	112	112 X 090 = 10080
9.	हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051 X 068 = 3468
10.	झारखंड	81	14227133	176	176 X 081 = 14256
11.	कर्नाटक	224	29299014	131	131 X 224 = 29344
12.	केरल	140	21347375	152	152 X 140 = 21280
13.	मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131 X 230 = 30130
14.	महाराष्ट्र	288	50412235	175	175 X 288 = 50400
15.	मणिपुर	60	1072753	18	018 X 060 = 1080
16.	मेघालय	60	1011699	17	017 X 060 = 1020
17.	मिजोरम	40	332390	8	008 X 040 = 320
18.	नागालैंड	60	516449	9	009 X 060 = 540
19.	ओडिशा	147	21944615	149	149 X 147 = 21903
20.	पंजाब	117	13551060	116	116 X 117 = 13572
21.	राजस्थान	200	25765806	129	129 X 200 = 25800
22.	सिक्किम	32	209843	7	007 X 032 = 224
23.	तमिलनाडु	234	41199168	176	176 X 234 = 41184
24.	तेलंगाना	119	15702122	132	132 X 119 = 15708
25.	त्रिपुरा	60	1556342	26	026 X 060 = 1560
26.	उत्तराखंड	70	4491239	64	064 X 070 = 4480
27.	उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208 X 403 = 83824
28.	पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151 X 294 = 44394
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	70	4065698	58	058 X 070 = 4060
30.	पुडुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र	30	471707	16	016 X 030 = 480
	<b>कुल</b>	<b>4033</b>	<b>543002005</b>		<b>= 543231</b>

(क) संसद के सदस्यों के प्रत्येक मत का मूल्य

कुल सदस्य =

$$\text{लोकसभा (543) + राज्य सभा (233) = 776}$$

$$\text{प्रत्येक मत का मूल्य} = \frac{5,43,231}{776} = 700$$

(ख) संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य =  $700 \times 776 = 5,43,200$

(ग) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए कुल निर्वाचक = विधान सभा सदस्य (4033) + संसद सदस्य (776) = 4809

(घ) राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए

$$4809 \text{ निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य} = 5,43,231 + 5,43,200 = 10,86,431$$

संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में यह उपबंध किया गया है कि जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के संबंधित जनसंख्या आंकड़ों को प्रकाशित नहीं कर दिया जाता तब तक राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतों के मान के परिकलन के प्रयोजनार्थ राज्यों की जनसंख्या का तात्पर्य 1971-जनगणना में यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या से होगा।